

विद्या संबल योजना (सत्र 2025-26) आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित विषय.....

1. आवेदक का नाम.....
2. पद
3. पिता का नाम.....
4. माता का नाम.....
5. जन्म दिनांक.....
6. मोबाईल न.वाट्सएप न.
7. स्थायी पता
8. ई-मेलआईडी
9. शैक्षणिक योग्यता (निजी अभ्यर्थियों हेतु) का विवरण-

फोटो मय
हस्ताक्षर

क्र. स.	कक्षा	बोर्ड / विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण वर्ष	श्रेणी	कुल प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत
1	10 वीं					
2	12 वीं					
3	स्नातक					
4	अधिस्नातक					
5	एम. फिल					
6	पीएच.डी.					
7	जेआरएफ सहित नेट					
8	नेट					
9	स्लेट या सैट					

सेवानिवृत्त शैक्षणिक अधिकारी आवेदन पत्र के साथ अपने पी.पी.ओ.एवं निजी आवास के पूर्ण पते की प्रति आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।

उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित अंकतालिकाओं की प्रति एवं प्रमाणपत्र संलग्न करें।

10. शोध प्रकाशन / शोधपरान्त अनुभव / पुरस्कार आदि का विवरण

- शोध प्रकाशन का विवरण (सहकर्मी द्वारा समीक्षित या यूजीसी द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र ही मान्य होंगे) -लेखक/लेखकों का नाम, शोध पत्र का टाइटल, जर्नल का विवरण मय प्रकाशन तिथि की सूची एवं शोध पत्रों की प्रतिलिपि संलग्नकरें।
- शिक्षण / पोस्ट डॉक्टरल अनुभव का विवरण मय प्रमाण
- पुरस्कारों का विवरण-
 - अ. अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त किये गये पुरस्कारों का विवरण मय प्रमाण
 - ब. राज्य स्तरीय स्तर पर प्राप्त किये गये पुरस्कारों का विवरण मय प्रमाण

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ

मैं शपथपूर्वक बयान करता / करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं यदि इन सूचनाओं में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा मिथ्या कथन पाया जाता है तो मैं स्वयं इसके लिए उत्तरदायी हूँ। विज्ञप्ति में वर्णित परिपत्र की समस्त शर्तों का मेरे द्वारा अध्ययन कर लिया गया है एवं मैं उक्त सभी शर्तों की पालना करने का दायन देता / देती हूँ।

शपथ गृहिता के हस्ताक्षर

राजस्थान बालचर आवासीय विद्यालय

राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, जगतपुरा जयपुर

(50 रुपये के स्टाम्प पर)

आवासीय विद्यालय परिसर में रहने हेतु सहमति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं व.अ.

निवासी: जिला का हूँ यदि मेरा चयन गैस्ट फैकल्टी के रूप में विद्या संबल योजना के तहत राजस्थान बालचर आवासीय विद्यालय जगतपुरा जयपुर में होता है तो आपके विद्यालय के नियमानुसार विद्यालय परिसर में निर्मित हॉस्टल अथवा कक्ष में स्वयं (बिना फैमेली) रहने के लिए सहमत हूँ। इसके लिए मेरे द्वारा विद्यालय द्वारा दिये जाने वाले वेतन भत्तों के अतिरिक्त किसी प्रकार के अन्य भत्ते एवं परिलाभों की मांग नहीं की जावेगी।

मैं विद्यालय में रहने के लिए सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर

नाम :-

विषय :-

मोबाइल नं. :-

दिनांक :-

प्रारूप

शपथ-पथ

- मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
विभाग.....(संस्थान का नाम) में दिनांक.....को
गैस्ट फौकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ/दे रही हूँ।
1. यह है कि मैंने.....विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक.....
.....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित
शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम)
विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक.....को
अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं
तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख
एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन
पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास,
जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं
यदि जाच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे
गैस्ट फौकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के
empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही
मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं
करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार
अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ/
करती हूँ तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।

यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फैंकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की देनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।

यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेनेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

10 इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैंकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

11 मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।

12 यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई अपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

13 मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैंकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।

14 मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होऊंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता